न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/28/2019	2019/00202	03-12-2019	18-03-2021

01- प्रभु पुत्र बिरजू जाति गुर्जर निवासी ग्राम कमालपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0। —अपीलान्ट

बनाम

01- नगर विकास न्यास अलवर जरिये सचिव/अध्यक्ष नगर विकास न्यास अलवर राज0।

02- तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर राज0। —रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 31.10.2012 नामान्तकरण संख्या 75 ग्राम कमालपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0

उपस्थितः—

01. श्री जनार्दन शर्मा —वकील अपीलान्ट

02. श्री अशोक कुद्दल —वकील रैस्पो0 सं. 1

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 31.10.2012 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 75 ग्राम कमालपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर जिसमें रैस्पो0 सं0 2 द्वारा रैस्पो0 सं0 1 के नाम स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त इंतकाल की जानकारी अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 29.11.2019 को हुई। नकल प्राप्त कर समय पर अपील पेश की गयी। पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम एक्ट के तहत प्रा0पत्र पेश किया गया है। अपीलाधीन आराजी से रैस्पो0 सं0 1 को कभी भी कोई सरोकार नहीं रहा है ना ही कभी कब्जा रहा। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2020 से पूर्व सं.2003 में अपीलाधीन आराजी साबिक खसरा नम्बर 213/63 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, 218/78 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा, 228/175 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, 233/177 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा जिसका सं0 2020 में कायम खसरा नम्बर 92 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, 113 मिन रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा, 226 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, 228 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा तथा हाल खसरा नम्बर 2058 में 215 रकबा 0.71, 255 रकबा 0.48, 256 रकबा 0.46, 299 रकबा →

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

0.54, 300 रकबा 0.62 है0 कुल किता 5 रकबा 2.81 है0 वाके ग्राम कमालपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर अपीलांट के बुजुर्ग बुद्धा पिसर बलदेव गुर्जर के नाम जमाबंदी सं.2003 के खाता संख्या 2 के कॉलम सं0 5 में खुदकाश्त व मकबूजा मालिक दर्ज है। एवं जमाबंदी सं0 2011 लगा0 19 में खाता सं0 2 के कॉलम सं0 5 में खुदकाश्त मकबूजा मालिक बुद्धा बेटा बलदेव खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व रिकॉर्ड में विवातिद आराजी की किस्म बंजड कदीम दर्ज है। विवादिज आराजी अपीलांट जन्मजात काबिज चला आ रहा है। सम्वत् 2018 से उक्त आराजी अपीलांट के बुजुर्ग के नाम इन्द्राज रहा है। सैटलमेंट सं0 2020 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से त्रुटिपूर्वक विवादित आराजी का इन्द्राज अपीलांट के बुजुर्ग एवं अपीलांट के नाम का इन्द्राज ना करते हुए आराजी सिवायचक कस्टोडियन दर्ज कर दिया। मिन अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के यहां राजस्व वाद बउनवान प्रभु पुत्र बिरजू बनाम सरकार दावा सं0 1/232 दायर किया गया जो वाद दिनांक 14.10.2010 को स्वीकार कर मिन अपीलांट के पक्ष में निर्णित कर डिक्री किया गया। विवादित आराजी का मिन अपीलांट को खातेदार घोषित किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानकारी होने के बावजूद भी रेस्पो0 सं0 1 के नाम बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये इंतकाल स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त इंतकाल आनन–फानन में दर्ज कर स्वीकार कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिन अपीलांट से कोई ऐतराज नहीं लिये गये तथा मौके की जांच नहीं की गयी ना ही राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मिन अपीलांट को नोटिस जारी कर बुलाया जाना चाहिए था सुनना चाहिए था तथा मौके की जांच करनी चाहिए थी। रेस्पो0 सं0 1 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय की किसी भी सक्षम न्यायालय में अपील पेश नहीं की गयी है। जबकि लिखित बहस में रैस्पो0 सं0 1 द्वारा लिखा गया है कि उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.2010 के विरूद्ध मान. राजस्व अपील अधिकारी अलवर में अपील विचाराधीन है एवं उक्त अपीलों में स्थगन प्राप्त है। विवादित इंतकाल सं0 75, के विरूद्ध कुल 7 अपीले श्रीमान के न्यायालय में पेश की गयी थी जिनके पक्ष में सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ ने विधिवत् निर्णय व डिक्री पारित की थी तथा उन्हें खातेदार घोषित किया गया था। जो अपीले दिनांक 14.03.2015 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा स्वीकार कर ली गई है। यूआईटी अलवर के पक्ष में दर्ज किये गये इंतकाल सं0 75 को निरस्त कर दिया गया। यूआईटी अलवर द्वारा उक्त 7 अपीलों में से 1 अपील जगदीश बनाम यूआईटी अलवर के विरूद्ध संभागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में दिनांक 11.05.2013 को पेश की थी। जिसे संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 05.03.2018 को खारिज किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.10.2012 इंतकाल सं0 75 निरस्त फरमाया जाकर अपीलाधीन आराजी का इंतकाल मिन अपीलांट के नाम दर्ज व स्वीकार फरमाया जावें। वकील अपीलांट ने अपील के समर्थन में आरबीजे 1994 पेज 360, आरबीजे 1997 पेज 285, आरबीजे 2001 पेज 229, आरबीजे 2002 पेज 108, आरआरडी 2002 पेज 669, आरआरडी 2003 –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

पेज 279, आरआरजे 2003 पेज 1034, आरबीजे 2003 पेज 505, आरबीजे 2002 पेज 581, आरबीजे 2004 पेज 268, आरआरटी 2004 पेज 1035, आरबीटी 2009 पेज 800, आरआरटी 2013 पेज 383, आरआरडी 2013 पेज 32 एवं आरबीजे 2013 पेज 01 नजिर पेश की है।

विद्वान वकील रैस्पो0 सं0 1 ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि दिनांक 13.10.2011 को राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर तहसील अलवर व रामगढ़ के शहरी क्षेत्र से लगे हुए गांवों को नगरीय क्षेत्र में शामिल किया गया। जिसमें रामगढ़ तहसील के 10 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया। जिनमें रूंधधूनीनाथ, सांखला, बहाला, ढाढोली, कमालपुर, गोलेटा, बटेसरा, केसरोली, चोरोटी पहाड, अग्यारा व लोहरवाडी है। उक्त सभी गांव में स्थित राजकीय भूमि बाद अधिसूचना नगर विकास न्यास में न्यस्त हो जाती है। उक्त अधिसूचना की पालना में जिला कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक 31.10.2012 को समस्त तहसील जिला अलवर को पत्र जारी कर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित होने वाले सभी ग्राम की वह भूमि जो सिवायचक या राजकीय भूमि की श्रेणी में आती है उन सबको स्थानीय निकायों नगर विकास न्यास के हक में अन्तरण हेतु आदेशित किया। इसके बाद पुनः दिनांक 28.10.2014 को तहसीलदार रामगढ़ को आदेश क्रमांक राजस्व/भूरूपांतरण(11/6822–23) जारी कर मुख्य सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के पत्रांक 5955/5988 दिनांक 02.02.2011 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप अधिसूचना में शामिल इन गांवों की सिवायचक भूमि को नगर विकास न्यास अलवर को हस्तानान्तरित करने हेतु निर्देशित किया। उकत आदेश की पालना में प्रश्नगत इंतकाल दर्ज किये गये। इन सभी आदेशों के विरूद्ध नगर विकास न्यास अलवर ने राजस्व अपीलाधिकारी अलवर के समक्ष अपील दायर की हुई है। जिसमें दिनांक 14.08.2017 को मान. न्यायालय द्वारा आदेशों का प्रचलन स्थगित किया हुआ है। इस प्रकार जिस आदेश को आधार बनाकर अपीलांट अपील में आया है उसका प्रचलन स्थगित हो गया है और स्वाभाविक रूप से जब तक रैस्पो0 नगर विकास न्यास द्वारा पेश अपीलों का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता तब तक अपीलांट आलोच्य आदेश के आधार पर मौजूदा अपील में कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है। वैसे भी अपील के लम्बित रहते हुए प्रकरण को सबज्यूडिस माना जावेगा अर्थात् जब कोई नियमित अपील उसी वाद ग्रस्त खसरा नम्बर के बाबत विचाराधीन हो तो इंतकाल जैसी फिसकल प्रोसिडिंग में कोई राहत अपीलांट को नहीं दी जा सकती। अपीलांट ने जिस निर्णय का अवलम्ब लेकर यह अपील पेश की है। उसमें अपीलांट को सिवायचक भूमि का खातेदार घोषित किया गया है। विधिअनुसार सिवायचक भूमि का आवंटन या नियमन किया जाना संभव है किसी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। क्योंकि सिवायचक भूमि राजकीय भूमि है उस पर काबिज व्यक्ति अतिक्रमी की सज्ञा में आता है। कानूनन किसी भी अतिक्रमी को कोई टाईटल प्राप्त नहीं हो सकता। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 92 में जिला कलक्टर को अधिकृत करता है कि वह किसी भी भूमि को किसी भी विशिष्ट प्रयोजन हेतु रिजर्व/आरक्षित कर सकते है। इसी अधिकार के तहत विवादित भूमि जिसके नामान्तरकरण को अपीलांट अपील के माध्यम से चुनौती दे रहे है –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

व कलक्टर के आदेश से भावी शहारी विकास व विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयों को स्थापना की संभावना के मध्यनजर रिजर्व की गयी है। अतः लिखित बहस पेश निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें। अपनी बहस के समर्थन में वकील रैस्पो0 1 ने आरएलडब्ल्यू 2011 सी राज0 पेज 439, आरएलडब्ल्यू 2012 2 राज0 पेज 766, आरएलडब्ल्यू 2012 2 राज0 पेज 1209, आरआरडी 2002 पेज 430 नजिर पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 31.10.2012 के विरूद्ध दिनांक 03.12.2019 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 07 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नही है, अपीलान्ट ने अपील जानबूझकर विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है। जो अपीलांट द्वारा प्रा0पत्र 5 मियाद अधिनियम में स्पष्ट नहीं किया गया है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प. 10(23)/न.वि.वि./3/10 दिनांक 13.10.2011 के अनुसरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय अलवर के पत्रांक राजस्व/12/9902–13 दिनांक 31.10.2012 की पालना में किया गया है। जिसमें निर्देशित किया गया था कि "उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राजस्व ग्रामों में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनोपयोगी प्रयोजनार्थ, राजकीय कार्यालय एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत भूमि के आवंटन हेतु भूमि आरक्षित करने के लिए भूमि का चिन्हिकरण कर प्रस्तावित योजनाओं हेतु चिन्हित आरक्षित भूमि को छोडकर शेष समस्त सिवायचक भूमि (प्रतिबंधित भूमियों को छोडकर) स्थानीय निकायों में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की भूमि को आज दिनांक 31.10.2012 को हस्तानान्तरण करना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 31.10.2012 को ही अनुपालना रिपोर्ट भिजवाये। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18–03–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/03/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)